क्रम-संख्या--561

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 7 मार्च, 1989

फाल्गुन 16, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 459/सत्रह-वि-1—1-1 (क) 5-1989

लखनऊ, 7 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 5 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 अप्रैल, 1989" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 91 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 459-(2)/XVII-V-1-1-(KA)-5-1989

Dated Lucknow, March 7, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 7, 1989.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1989

(U.P. ACT NO. 2 OF 1989)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1988.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (1) *for* the words and figures "31st day of December, 1988" the words and figures "30th day of April, 1989" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1988, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 19 of 1988

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act, were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 200 सा0 (विधा0)-( )-1989-850 (मेक0)।